सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

प्रकरण सं0 31/2016

1. नेतराम पुत्र हजारीराम उम्र 50 वर्ष जाति नायक निवासी मम्मडखेडा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. नायब तहसीलदार (राजस्व) लालगढजाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

प्रकरण अन्तर्गत धारा 13–ए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

उपस्थिति :

1.श्री कुलवन्त सिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थी की ओर से

2. राजकीय अधिवक्ता, स्टेट की ओर से।

आदेश **दिनांक : 16.01.2018**

प्रकरण राजस्व अपील प्राधिकारी, श्री गंगानगर के न्यायालय की अपील सं0 310/2001 अनवानी सुरजाराम वगैरा बनाम सरकार में दिनांक 30.12.2002 को पारित निर्णय अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.10.2001 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपर्युक्त विशलेषण के सन्दर्भ में निर्णय देने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है।

सक्षेंप में प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी का सिविल प्रकिया संहिता के प्राावधान आदेश 6 नियम 14(क) के द्वारा अपेक्षित पंजीकृत पता प्रार्थनापत्र के शीर्षक में अंकित पता ही है। चक 11 एसडीपी के खाता सख्या 65/62, प.नं.20/186, मु.नं. 59 किला नम्बर 6 ता 19 कुल 15 किला में 3.795 हैक्टर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 11 एसडीपी के खाता संख्या 1 पं.नं. 20/186 मु.नं.59 कि.न. 6 ता 19 कुल 15 किता यानि 3.795 हैक्टर आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त वर्णित आराजी प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 एवं रामनारायण एव बलराम की जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 25.02.1974 को निक्कुराम से खरीदशुदा था। प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाईयों का उक्त जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीदशुदा आराजी दिनांक 25.02.1974 का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो चुका था। उक्त आराजी के सम्बन्ध में एक प्रकरण सख्या 16/1996 सरकार बनाम सुरजाराम आदि के नाम से चला जिसमें विवादित रकबा चक 11 एसडीपी के खाता संख्या 65/62 पं.न. 20/186 मु.न. 59 किला नम्बर 6 ता 19 कुल 15 कुल 15 किता में 3.795 है0 आराजी को दिनांक 04.10.2001 को जिला कलक्टर द्वारा रकबा को रकबा राज घोषित किया जाकर अराजी बहक राज्य सरकार दर्ज की गयी। प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयों द्वारा जिला कलक्टर , श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 04.10.2001 के विरूद्व अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील संख्या 310/2001 पेश की गयी जिसे पूर्ण सुनवाई कर दिनांक 30.12.2002 को जिला कलक्टर , श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 04.10.2001 जिसमें विवादित रकबा को रकबा राज घोषित किया गया था को निरस्त कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 30.12.2002 के विरूद्व एक अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील एल.आर.162(3039)/04 राजस्थान सरकार बनाम सुरजाराम आदि पेशा की गयी। जिसे भी पूर्ण सुनवाई करने के बाद माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पूर्व निर्णयों दिनांक 04.10.2001 एवं दिनांक 30.12.2002

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

को निरस्त किया गया एवं शमन फीस जमा करवाने के आदेश पारित किये। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एक रिट संख्या 10322/2011 राज्य सरकार बनाम सुरजाराम आदि पेश की गयी जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने दिनांक 03.08.2011 को खारिज कर दी गयी। इस प्रकार विवादित रकबा चक 11 एसडीपी के खाता सख्या 1, पं.नं. 20/186 मु.नं.59 कि.न. 6 ता 19 कुल 15 किता यानि 3.795 हैक्टर अराजी को रकबा राज करने के आदेश दिनांक 04.10.2001 निरस्त हो चुके है। उक्त रकबा के सम्बन्ध में राज्य सरकार की कोई अपील या रिट पेश नहीं है। इस कारण माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर का निर्णय दिनांक 04.10.2006 अंतिम हो चुका है। विवादित रकबा बरोज खरीद से प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाईयों का एवं प्रार्थी के भाई सत्यनारायण एवं बलराम की मृत्यु के बाद उनके वारिसान का चला आ रहा है लेकिन विवादित रकबा राजस्व रिकार्ड में रकबा राज रहने से प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाईयों को कई प्रकार की परेशानियां का ससामना करना पडता है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित रकबा चक 11 एसडीपी के खाता सख्या 1, पं.नं. 20/186 मु.नं.59 कि.न. 6 ता 19 कुल 15 किता यानि 3.795 हैक्टर अराजी पर अप्रार्थी द्वारा जारी आदेश दिनांक 30.03.2016 को निरस्त फरमाया जावें।

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 04.10.2006 की पालना में प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश की पालना मे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 18.04.2016 से अन्तर राशि के संबंध में डी0आर0ए0 से रिपोर्ट प्राप्त की गई। रिपोर्ट अनुसार केतागण द्वारा 12000/– रूपये शमन फीस पूर्व में जमा करवाई हुई एवं 2400/– रूपये ब्याज जमा करवाया हुआ है शेष राशि दिनांक 15.01.2018 को जरिये चालान नम्बर 20681391 द्वारा रूपये 18000/– एवं चालान नम्बर– 20681255 द्वारा 93066/–रूपये जमा करवाई जा चुकी है। प्रार्थी नेतराम ने दिनांक 16.01.2018 को पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि समस्त राशि हमारे द्वारा जमा करवाई जा चुकी है। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

केतागण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 04.10.2006 की पालना में, डी0आर0ए0 द्वारा रिपोर्ट में निर्धारित की गई अंतर राशि जमा करवा दी गई है। अन्य कोई राशि बकाया नहीं है। अतः नियमन आदेश जारी किया जाना चाहिये।

राजकीय अधिवक्ता ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश एवं अन्तर राशि जमा कराने तथा नियमन आदेश जारी किये जाने का विरोध नहीं किया है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश की अपील/एल.आर./62(3039) 04 राजस्थान सरकार बनाम सुरजाराम निर्णय दिनांक 04.10.2006 का गहनता से अवलोकन किया गया।

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.10.2006 में आदेश पारित किया जाकर प्ररकण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशो के साथ रिमाण्ड किया कि प्रत्यर्थीगण द्वारा धारा 13ए(1ए) उपनिवेशन अधिनियम के तहत शमन फीस जमा कराने की सहमति को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण पुनः नियमानुसार कार्यवाही के लिए जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को प्रतिप्रेषित किया जाता है। अपीलांट द्वारा शमन राशि जमा करवा दी गई है। धारा 13–ए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत नियमन की कार्यवाही पूर्ण की जानी समुचित है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

जाता है। अपीलांट द्वारा शमन राशि जमा करवा दी गई है। धारा 13–ए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत नियमन की कार्यवाही पूर्ण की जानी समुचित है।

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक 04.10.2006 की पालना में डी0आर0ए0 द्वारा अन्तर राशि के संबंध में प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 08.01.2018 के अनुसरण में अन्तर राशि जरिये चालान जमा हो चुकी है।

अतः वाके चक 11 एसडीपी के पं.नं. 20/186 मु.नं.59 कि.न. 6 ता 19 कुल 15 किता यानि 3.795 हैक्टर अराजी, जो जरिये बैयनामा दिनांक 25.02.1974 के निक्कुराम से क्रय की। इस भूमि **को, राजस्व राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर, के निर्णय दिनांक** 04.10.2006 **की पालना में धारा 13–ए राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के तहत नियमन किया जाकर विधिमान्य घोषित किया जाता है।**

तहसीलदार सादूलशहर को आदेश दिया जाता है कि इस आदेश का राजस्व अभिलेखो में अंकन किया जावे। आदेश की प्रति तहसीलदार सादूलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 16.01.2018 को मेरे द्धारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/1/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन) श्रीगंगानगर